2017/00553

तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री भवानी शंकर पुत्र श्री सुन्दरलाल व्यास निवासी लालाणी व्यासों का चौक, मनावतों पुरोहितों की गली, बीकानेर : ब ना म : लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर प्रथम सूचना अपील संख्या 283/17 (अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

: निर्णय :

08.01.18

1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।

2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 11.10.17 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर से चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।

3. लोक सूचना अधिकारी एंव अति. जिला कलक्टर (प्रशा.),, बीकानेर के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 2286 दिनांक 21.12.17 में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर से संबंधित होने के कारण आर.टी.आई. की धारा 6(3) के तहत कार्यालय के पत्रांक 1655 दिनांक 16.10.17 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, बीकानेर को हस्तानान्तरण करते हुए अपीलार्थी को भी रजिस्टर्ड पत्र से सूचित किया गया। लोक सूचना अधिकारी के विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि इस अपील को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर परिवहन विभाग में नियुक्त प्रथम सूचना अपील अधिकारी को है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), बीकानेर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत प्रार्थी/अपीलार्थी की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

5. उपरोक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम सूचना अपील अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

6. निर्णय आज दिनांक 08.01.18 को लिखाया जा कर सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल गुप्ता)
प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर

प्रथम सूचना अपील अधिकारी
एवं जिला कलक्टर, बीकानेर